(67)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1036–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–12–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण क्रमांक 303/अपील/2012–13.

बाबूलाल आ0 मांगीलाल कीर
निवासीग्राम खपरियाखापा तहसील गौहरगंज
जिला रायसेन

..... आवेदक

विरूद्ध

1–हाकमसिंह आ0 मांगीलाल कीर
2–दौलतराम आ0 स्व0नन्हेलाल कीर
निवासीग्राम खपरियाखापा तहसील गौहरगंज
जिला रायसेन

..... अनावेदकगण

.....

श्री मेहरबानसिंह, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/5/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–15 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा विवादित भूमि ग्राम खपरिया खापा सर्वे कमांक 83/2/2 रकबा 5.00 एकड़ का नक्शा दुरूस्त कर सीमांकन किये जाने हेतु तहसील न्याायलय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें तहसील न्यायालय में अनावेदक कमांक 1 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। तहसील न्यायालय ने अनावेदक कमांक 2 का आवेदन दिनांक 5–5–12 को आदेश पारित कर साक्ष्य एवं तथ्यों के अभाव में अस्वीकार कर दिया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी गोहरगंज के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27–12–2012 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई और तहसील न्यायालय को निर्देशित किया गया कि अनावेदक कमांक 1 की भूमि खसरा नम्बर 81/1 रकबा 5.00 एकड़ पर कुआं अंकित कर अभिलेख प्रस्तुत करें । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–12–2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अपास्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– प्रकरण में आवेदकपक्ष अंतिम सुनवाई में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर आवेदकपक्ष द्वारा निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों पर विचार किया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश तथ्य एवं विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व प्रविष्टि एवं बटान की प्रविष्टि की प्रकृति संबंधी विवाद को नक्शे की दुरूस्ती हुआ होना मानने में तथ्य मिश्रित विधिक त्रुटि की गई है।

(3) उभयपक्ष के मध्य विवाद खसरा कमांक 83/1/2 एवं 83/2/2 के बटान से उत्पन्न हुआ है जिसे श्रवण करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ तहसील न्यायालय एवं प्रथम

अपीलीय न्यायालय को संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान किया गया है इस कारण संहिता की धारा 107 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं ।

(4) अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 107 के तहत आवेदन पत्र कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने का दिया गया निर्देश भी क्षेत्राधिकार विहीन है ।

उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4– अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश संहिता के प्रावधानों के अनुरूप होकर वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्रकरण नक्शा दुरूस्ती का है और संहिता की धारा 107 के तहत नक्शा दुरूस्त करने का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदान किया गया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय को नक्शा दुरूस्त करने के आदेश देने में त्रुटि की गई थी जिसे अपर आयुक्त द्वारा अपास्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश न्यायायिक दृष्टि से उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.